संख्या-20/001/108-25-27-3099-306-2024

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2025**

विषयः इजरायवाद संख्या-39/2020 किफायतुल्लाह बनाम अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 के अनुपालनार्थ धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-594/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/गण्डक, दिनांक 29.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर में ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में इजरायवाद संख्या-39/2020 किफायतुल्लाह बनाम अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 20,41,624.00 (बीस लाख, इकतालिस हजार, छह सौ चौबीस रूपये) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर में ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में इजरायवाद संख्या-39/2020 किफायतुल्लाह बनाम अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 20,41,624.00 (बीस लाख, इकतालिस हजार, छह सौ चौबीस रूपये) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 20,41,624.00 (बीस लाख, इकतालिस हजार, छह सौ चौबीस रूपये) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती।
(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।